न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) कक्ष संख्या–2, कन्नौज।

उपस्थित : श्री रजनीश मोहन वर्मा ..... उच्चतर न्यायिक सेवा।

(J.O.CODE-UP 1672)

UPKJ010002242016

सत्र परीक्षण वाद संख्या–05/2016

राज्य बनाम

1– अकरम वारसी पुत्र अकील वारसी,
निवासी मोहल्ला अजय पाल थाना कोतवाली व जनपद कन्नौज।

2–बबलू उर्फ कौनेन पुत्र शम्मी उर्फ शमीम,
निवासी मोहल्ला अजयपाल थाना कोतवाल व जिला कन्नौज।

मुकदमा अपराध संख्या–673/2015
धारा–147,148,149,307,298, 504,506 भा0दं0सं0
एवं धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेण्ट एक्ट
थाना कोतवाली कन्नौज, जनपद कन्नौज।

(प्रारूप–क)

(निर्णय दिनांक 29.04.2026)
(सत्र परीक्षण वाद संख्या–05/2016)
(अपराध संख्या–673/2015)
पुलिस थाना–कन्नौज, जिला–कन्नौज।

सूचनाकर्ता/वादी मुकदमा	मान सिंह अवस्थी
राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता	श्री मयंक द्विवेदी
अभियुक्तगण	1–अकरम वारसी 2– बबलू उर्फ कौनेन
अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता	श्री नईमुल हाशमी, अधिवक्ता

Digitally signed by Rajneesh Mohan Verma
Date: 2026.05.02 10:23:37 IST
Reason: Judgment
Location: Adj/ftc-2 Kannnauj

(प्रारूप–ख)

घटना की तिथि	05.07.2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन का दिनांक	07.07.2015
अभियोग पत्र क्रमांक एवं प्रस्तुती दिनांक	673/2015 दि०27.12.2016
आरोप विरचित करने का दिनांक	05.02.2016

(प्रारूप–ग)

अभियोजन/बचाव/न्यायालयीन साक्षीगण की सूची

क–अभियोजन साक्षीगण

साक्षी सं०	**साक्षी का नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
पी०डब्लू०1	मान सिंह	वादी मुकदमा
पी०डब्लू०2	मजरूब अमर दीप सिंह	गवाह
पी०डब्लू०3	आशीष	गवाह
पी०डब्लू०4	एच.सी.पी. मोहनलाल	चिक व कायमी जी०डी० लेखक
पी०डब्लू०5	डाक्टर ए.के चौधरी	चिकित्सक साक्षी
पी०डब्लू०6	एस.एस.आई. आरिमर्दन सिंह	विवेचक साक्षी
पी०डब्लू०7	रीता अवस्थी	गवाह
पी०डब्लू०8	पुलिस उपाधीक्षक भुल्लन यादव	विवेचक साक्षी
पी०डब्लू०9	डाक्टर यू.सी. चतुर्वेदी	चिकित्सक साक्षी

ख–अभियोजन साक्षीगण द्वारा साबित दस्तावेजीय साक्ष्य।

प्रदर्श	**विवरण**	**साबित करने वाले साक्षी**
प्रदर्श क–1	तहरीर	पी०डब्लू०1
प्रदर्श क–2 व 3	चिक एफ.आई.आर.व जी.डी	पी०डब्लू–4
प्रदर्श क–4	डिस्चार्ज स्लिप	पी०डब्लू०–5
प्रदर्श क–5	नक्शा नजरी	पी०डब्लू–8
प्रदर्श क–6	आरोप पत्र	पी०डब्लू०–8
प्रदर्श क–7	एक्सरे रिपोर्ट	पी०डब्लू०–9

निर्णय

1. प्रस्तुत प्रकरण में थाना कन्नौज, जिला कन्नौज की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण **अकरम वारसी एवं बबलू उर्फ कौनेन** के विरुद्ध आरोप–पत्र मुकदमा अपराध संख्या–673/2015 अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 307, 298, 504 एवं 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेण्ट एक्ट में प्रेषित किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा दिनांक 26.11.2017 को मामले का प्रसंज्ञान लिया गया। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा धारा 207 दं०प्र०सं० का अनुपालन करने के पश्चात पत्रावली दिनांक 11.12.2015 को सत्र सुपुर्द की गयी जिसके उपरान्त अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा–147, 148, 149, 307, 298, 504 एवं 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत दिनांक 06.01.2016 को प्रस्तुत मामले को सत्र परीक्षण वाद के रूप में पंजीकृत किया गया तथा माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार उक्त पत्रावली इस न्यायालय को स्थानान्तरित करके प्राप्त करायी गयी।

संक्षेप में मामले के तथ्यः–

2. वादी मुकदमा की तहरीर के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि ''दिनांक 05.07.2015 को समय करीब शाम 06.30 बजे वादी अपने घर पर मौजूद था तभी घर के बाहर तेज शोर शराबा सुनाई दिया। वादी व वादी का भाई अमरदीप घर से बाहर निकले तो देखा कि मोहल्ला चिरैयागंज निवासी जाबिर पुत्र साबिर अपने साथी अतहर वारसी पुत्र नईम व अकरम वारसी पुत्र अकील निवासीगण लाखन चौराहा, लईक अहमद उर्फ जानी पुत्र कदीर अहमद निवासी मो० मीरवैश्य टोला, भोले कुरैशी व बबलू कुरैशी पुत्रगण लतीफ निवासीगण मो० शेखपुरा के साथ असलहे लेकर अपने घर से वादी के मोहल्ले में घुसकर अन्धाधुन्ध फायरिंग कर दहशत फैला रहे थे तथा सभी हिन्दुओं को धार्मिक गालियां देकर उन्माद भी कर रहे थे। वादी व उसके भाई को देखते ही उक्त भोले कुरैशी ने कहा कि इन सालों को जान से मार दो यह बहुत बड़े हिन्दूवादी है। भोले कुरैशी के इतना कहते ही उक्त सभी मुल्जिमान ने एकराय होकर वादी व उसके अमरदीप पर जान से मारने की नीयत से फायर करना शुरू कर दिये जिससे गोली लगने से वादी का भाई अमरदीप गम्भीर रूप से घायल हो गया।

चीख पुकार व फायरिंग की आवाज पर मोहल्ले पड़ोस के तमाम लोग मौके पर आ गये जिन्होंने घटना देखी व मुल्जिमान को ललकारा तो मुल्जिमान उपरोक्त आइन्दा जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गये। वादी के भाई की हालत गम्भीर देख मोहल्ले के लोगों ने 108 एम्बुलेन्स बुलवायी तब वादी अपने घायल भाई को इलाज हेतु जिला अस्पताल ले गया। वादी के मजरूब भाई की हालत अधिक गम्भीर होने के कारण उसे कानपुर हैलट अस्पताल के लिये रिफर कर दिया गया। वादी ने अपनी तहरीर में यह भी कहा है कि वादी के भाई की हालत अधिक गम्भीर होने के कारण प्रार्थी घटना के तुरन्त बाद रिपोर्ट लिखाने नहीं आ सका तथा अभी तक कानपुर में इलाज कराता रहा अब हालत में सुधार होने पर रिपोर्ट को आया है। अतः रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही किये जाने की याचना वादी के द्वारा की गयी। "

3. वादी मुकदमा मान सिंह द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना कन्नौज में दिनांक 07.07.2015 को अभियुक्तगण जाबिर, अतहर वारसी, लईक एवं अकरम वारसी के विरूद्ध **चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2** मु०अ०सं० 673/2015 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 298, 504, 506 भा०दं०सं० एवं 7 सी.एल.ए एक्ट में पंजीकृत की गयी,जिसका खुलासा **जी०डी० कायमी प्रदर्श क–3** में किया गया।

4. मामले की विवेचना के दौरान विवेचक ने गवाहान व अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अंकित किये। वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया। मजरूब का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। साक्ष्य संकलन के उपरांत विवेचक द्वारा अभियुक्तगण अकरम वारसी एवं बबलू उर्फ कौनेन के विरूद्ध धारा–147, 148, 149, 307, 298, 504 एवं 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेण्ट एक्ट के अपराध के लिये अभियुक्तगण के विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

आरोप का विरचन

5. संज्ञान एवं सत्र सुपुर्दगी के उपरांत न्यायालय द्वारा दिनांक 05.02.2016 को अभियुक्तगण **अकरम वारसी एवं बबलू उर्फ** के विरूद्ध धारा–147, 148, 149, 307,

298, 504 एवं 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेण्ट एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य–

6. अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिये अभियोजन की ओर से निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया।

पी०डब्लू०1	मान सिंह अवस्थी	वादी मुकदमा
पी०डब्लू०2	मजरूब अमर दीप सिंह	साक्षी
पी०डब्लू०3	आशीष	साक्षी
पी०डब्लू०4	हैड कां० मोहनलाल	चिक/एफ.आई.आर. एवं जी.डी.
पी०डब्लू०5	डाक्टर ऐ.के. चौधरी	डिस्चार्ज स्लिप
पी०डब्लू०6	विवेचक उपनिरीक्षक अरिमर्दन सिंह	
पी०डब्लू०7	रीता अवस्थी	गवाह
पी०डब्लू०8	विवेचक भुल्लन यादव	आरोप पत्र एवं नक्शा नजरी
पी०डब्लू०9	डाक्टर यू०सी० चतुर्वेदी	एक्सरे रिपोर्ट

7– अभियोजन के द्वारा निम्नलिखित प्रपत्रों को न्यायालय के समक्ष साबित किया गया।

प्रदर्श	**विवरण**	**साबित करने वाले साक्षी**
प्रदर्श क–1	तहरीर	पी०डब्लू०1
प्रदर्श क–2 व 3	चिक एफ.आई.आर.व जी.डी	पी०डब्लू–4
प्रदर्श क–4	डिस्चार्ज स्लिप	पी०डब्लू०–5
प्रदर्श क–5	नक्शा नजरी	पी०डब्लू–8
प्रदर्श क–6	आरोप पत्र	पी०डब्लू०–8
प्रदर्श क–7	एक्सरे रिपोर्ट	पी०डब्लू०–9

8. अभियोजन साक्ष्य की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त अकरम वारसी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभियोजन कथानका को गलत बताया है। साक्षी पी.डब्लू.–1, पी.डब्लू.–2, पी.डब्लू.–5 व पी.डब्लू.–6 एवं पी.डब्लू.–9 के साक्ष्य के सम्बन्ध में झूंठी गवाही देने का कथन किया है, तथा साक्षी पी.डब्लू.–4 के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहने का विकल्प चुना है, तथा पी.डब्लू.–8 विवेचक के द्वारा गलत विवेचना किये जाने का कथन किया गया है। इसी प्रकार अभियुक्त बबलू उर्फ कौनेन ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभियोजन कथानका को गलत बताया है। साक्षी पी.डब्लू.–1, पी.डब्लू.–2, पी.डब्लू.–5 व पी.डब्लू.–6 एवं पी.डब्लू.–9 के साक्ष्य के सम्बन्ध में झूंठी गवाही देने का कथन किया है, तथा साक्षी पी.डब्लू.–4 के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहने का विकल्प चुना है, तथा पी.डब्लू.–8 विवेचक के द्वारा गलत विवेचना किये जाने का कथन किया गया है।

सफाई साक्ष्य

9. न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी अभियुक्तगण की ओर से कोई भी सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्क

10. न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर से विद्वान विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया कि अभियोजन के द्वारा अभियुक्तगण पर लगाये गये प्रत्येक आरोप को साबित किया गया है। अतः अभियुक्तगण को कड़ी से कड़ी सजा से दण्डित किया जाये। इसके विपरीत अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत बहस प्रस्तुत करते हुये अभियोजन के द्वारा परीक्षित प्रत्येक साक्षी के साक्ष्य पर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कारते हुये कथन किया गया कि अभियुक्तगण अकरम वारसी एवं बबलू उर्फ कौनेन पर लगाये गये किसी भी आरोप को अभियोजन के द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया गया है, इसलिये अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जाये।

अवधारणीय बिन्दु

11. उभयपक्षों के तर्कों को दृष्टिगत रखते हुये तथा पत्रावली का परिशीलन करने के उपरांत न्यायालय का मत है कि निम्नलिखित अवधारणीय बिन्दु निष्कर्ष पर पहुंचने तथा साक्ष्यों का विश्लेषण करने के लिये आवश्यक व समीचीन हैः–

1. क्या अभियोजन के द्वारा यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया कि दिनांक 05.07.2015 को कथित घटनास्थल पर फायरिंग हुयी और उक्त फायरिंग में अमरदीप को जान से मारने की नियत से गोली मारकर घायल किया गया?

2. क्या अभियोजन के द्वारा अभियुक्तगण अकरम वारसी व बबलू उर्फ कौनेन पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 147,148,149, 307, 298, 504 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता तथा 7 क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेन्ट एक्ट को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया है अथवा नहीं?

अवधारणीय बिन्दु संख्या–1 का निस्तारण

12. अभियोजन पक्ष की ओर से **साक्षी पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा मान सिंह अवस्थी** को परीक्षित कराया गया है। साक्षी के द्वारा अपने बयान की **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि," दिनांक 05.07.2015 को समय करीब शाम के 6.30 बजे मैं व मेरा भाई अमरदीप घर पर मौजूद थे, तभी घर के बाहर शोर शराबा सुनाई दिया। मैं व मेरा भाई अमरदीप घर के बाहर निकले, तो देखा कि चिरैयागंज के जावेद, अकरम वारसी व अतहर वारसी, निवासी लाखन चौराहा व लईक उर्फ जानी निवासी मो० मीरा बैसटोला तथा भोले कुरैशी व बबलू कुरैशी उर्फ लतीफ, निवासी मोहल्ला शेखपुरा अपने अपने हाथों में अवैध असलहे तमंचे लिए हुए मेरे मोहल्ले में घुस कर फायरिंग की, दहशत फैला दी व हिन्दुओं को धार्मिक गालियां दी जिससे आक्रोश फैला तभी एक राय होकर मेरे भाई अमर दीप पर जान से मारने की नीयत से व मुझ पर सभी ने फायर करना शुरू कर दिया, जिसकी फायरों की चोट मेरे भाई अमरदीप को लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा। चीख पुकार व फायर की आवाज पर मोहल्ले व आस पड़ोस के बहुत सारे लोग आ गये, जिन्होंने घटना देखी व मुल्जिमानों को ललकारा तथा 108 नंबर एम्बुलेंस पर सूचना दी, तब वादी अपने घायल भाई को लेकर जिला अस्पताल कन्नौज आया। भाई अमरदीप की हालत गंभीर होने के कारण उसे तुरन्त हैलट

अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। कानपुर हैलट अस्पताल में मेरे भाई का इलाज हुआ। स्थिति में कुछ सुधार होने पर घटना के तीसरे दिन रिपोर्ट लिखाने थाना कन्नौज गया। घटना की तहरीर मैंने एक व्यक्ति से बोल बोल कर टाइप करवायी थी और पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर किए। गवाह को तहरीर कागज संख्या 4A/4 दिखायी व पढ़कर सुनायी गयी तो साक्षी उसे उसमें लिखी बातों की व उस पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता है। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि "मेरा भाई अमरदीप दिनांक 05/06.07.2015 से 15.07.2015 तक कानपुर के मेडिकल काले में भर्ती रहा था, जहां उसका इलाज हुआ था। इन लोगों द्वारा फायर करने से व धार्मिक उन्मदि फैलाने से क्षेत्र में भय व आतंक व्याप्त हो गया था, जिसके सम्बन्ध में विवेचक ने मेरा पूरा बयान लिया था।" अतः इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में अपने भाई को उक्त घटना में गोली से घायल होने के तथ्य को साबित किया है। जहां तक अभियुक्तगण अकरम वारसी व बबलू के द्वारा उक्त घटना कारित करने का प्रश्न है, इसके सम्बन्ध में साक्ष्य का विश्लेषण अवधारणीय बिन्दु संख्या–2 के निस्तारण आगे किया जा रहा है।

13. अभियोजन की ओर से प्रकरण में **साक्षी पी०डब्लू०–2 मजरूब अमर दीप सिंह** को परीक्षित कराया गया है, उक्त साक्षी ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि "आज से पहले पौने दो साल पहले की बात है। शाम के करीब साढ़े छः बजे का समय था। मैं अपने पापा के घर के अन्दर था जो मौहल्ला रानीचाह में स्थित है। मैं, मेरा भाई मान सिंह व मेरी मां मोहल्ले में बैठे बातचीत कर रहे थे, तभी बाहर शोर शराबा की आवाज सुनकर मैं व मेरा भाई मान सिंह बाहर निकल कर देखने लगे, तो देखा कि घर के बाहर शोर शराबा व हिन्दुओं को गालियां बकते हुए लईक अहमद, भोले कुरैशी, बबलू कुरैशी, अकरम वारसी, अतहर वारसी व जाबिर जो अपने अपने हाथों में तमंचे लिए थे, तभी भोले ने कहा कि मार दो गोली साले को इतने पर लईक उर्फ जानी ने अपने हाथ में लिए हुए तमंचे से जान से मार डालने की नीयत से मेरे उपर फायर कर दिया, जो मेरे पेट के निचले हिस्से में लगा और सभी लोग फायरिंग करते हुए गालियां बकते हुए इधर उधर चलने लगे। गोली लगते ही में गिर गया, मोहल्ले में अफरा तफरी मच गयी व भगदड़ मय गयी, लोगों ने अपने अपने दरवाजे बन्द कर लिए। घटना के समय मान सिंह अवस्थी मेरी माता जी व मोहल्ले के आशीष थे, जिन्होंने घटना देखी।

गोली लगने के बाद में बेहोश होगया था, उसके बाद घर वाले मुझे उठा कर जिला अस्पताल कन्नौज ले आए, वहां से कानपुर हैलट अस्पताल में मेरा आपरेशन व इलाज हुआ और कुछ नहीं सुना, केवल हिन्दुओं को मुल्जिम लोग गालियां बक रहे थे। दरोगा जी ने घटना के सम्बन्ध में मेरा बयान लिया था। मैंने उन्हें सारी बात बतायी थी"

14. अब इस संदर्भ में चिकित्सीय साक्षी पी.डब्लू. 5 ए० के० चौधरी के साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि दिनांक 06.07.2015 को मजरूब अमरदीप आपातकालीन विभाग में भर्ती हुआ था। इसका इलाज इसी डाक्टर व इनकी टीम द्वारा किया गया था। मजरूब को पेट में अग्नेआस्त्र की चोट थी, जिसके लिये पेट का ऑपरेशन किया गया था, तथा छोटी आंत जोड़ी गयी थी। मजरूब की स्थिति ठीक होने पर दिनांक 15.07.2015 को डिस्चार्ज स्लिप देकर रवाना किया गया। इस साक्षी ने डिस्चार्ज स्लिप को प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी की जिरह का अवलोकन किया जाये तो इस साक्षी की जिरह में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे इसकी मुख्य परीक्षा में किसी प्रकार का संदेह प्रकट होता हो। इस साक्षी के साक्ष्य के साथ रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट प्रदर्श क–7 को अवलोकन किया जाये तो यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता है कि पीड़ित अमरदीप को गोली की चोट लगी थी। यहां पर यह उल्लेख किया जाना समीचीन है कि पत्रावली में उक्त डिस्चार्ज स्लिप प्रदर्श क 4 तथा रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट प्रदर्श क–7 के अलावा अन्य कोई चिकित्सीय साक्ष्य नहीं है, परन्तु न्यायालय का मत है कि रेडियोलॉजिस्ट की उक्त रिपोर्ट तथा साक्षी पी.डब्लू.–5 के साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित है कि पीड़ित अमरदीप को बन्दूक की गोली की चोट लगी थी। वादी मुकदमा के द्वारा मुख्य परीक्षा में दिये गये साक्ष्य तथा पीडित अमरदीप की मुख्य परीक्षा के साक्ष्य तथा साक्षी पी.डब्लू.–5 व प्रदर्श क–4 तथा प्रदर्श क–7 से यह तथ्य साबित होता है कि कथित दिनांक 05.07.2015 को घटनास्थल पर फायरिंग की घटना हुयी थी और उक्त फायरिंग की घटना में पीडित अमरदीप को फायर आर्म्स इंजरी कारित हुयी है। ***अतः अवधारणीय बिन्दु संख्या–1 इस प्रकार निर्णीत किया जाता है कि अभियोजन के द्वारा यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया कि दिनांक 05.07.2015 को कथित घटनास्थल पर फायरिंग हुयी और उक्त फायरिंग में***

अमरदीप को जान से मारने की नियत से गोली मारकर घायल किया गया। जहां तक आरोपी अभियुक्तगण पर आरोप साबित होने का प्रश्न है, इसके सम्बन्ध में साक्ष्य का विश्लेषण अग्रिम पैराओं में अवधारणीय बिन्दु संख्या–2 के निस्तारण में किया जा रहा है।

अवधारणीय बिन्दु संख्या–2 का निस्तारण

15. जहां तक अभियुक्तगण द्वारा आरोपित अपराध कारित किये जाने के तथ्य के साबित होने का प्रश्न है, प्रस्तुत मामले में अभियोजन का महत्वपूर्ण साक्षी वादी मुकदमा को पी.डब्लू.–1 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसकी मुख्य परीक्षा का उल्लेख अवधारणीय बिन्दु संख्या–1 के निस्तारण में ऊपर किया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–" दिनांक 05.07.2015 को समय करीब शाम के 6.30 बजे मैं व मेरा भाई अमरदीप घर पर मौजूद थे, तभी घर के बाहर शोर शराबा सुनाई दिया। मैं व मेरा भाई अमरदीप घर के बाहर निकले, तो देखा कि चिरैयागंज के जावेद, अकरम वारसी व अतहर वारसी, निवासी लाखन चौराहा व लईक उर्फ जानी निवासी मो० मीरा बैसटोला तथा भोले कुरैशी व बबलू कुरैशी उर्फ लतीफ, निवासी मोहल्ला शेखपुरा अपने अपने हाथों में अवैध असलहे तमंचे लिए हुए मेरे मोहल्ले में घुस कर फायरिंग की, दहशत फैला दी व हिन्दुओं को धार्मिक गालियां दी जिससे आक्रोश फैला तभी एक राय होकर मेरे भाई अमर दीप पर जान से मारने की नीयत से व मुझ पर सभी ने फायर करना शुरू कर दिया, जिसकी फायरों की चोट मेरे भाई अमरदीप को लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा। चीख पुकार व फायर की आवाज पर मोहल्ले व आस पड़ोस के बहुत सारे लोग आ गये, जिन्होंने घटना देखी व मुल्जिमानों को ललकारा तथा 108 नंबर एम्बुलेंस पर सूचना दी, तब वादी अपने घायल भाई को लेकर जिला अस्पताल कन्नौज आया। भाई अमरदीप की हालत गंभीर होने के कारण उसे तुरन्त हैलट अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। कानपुर हैलट अस्पताल में मेरे भाई का इलाज हुआ। स्थिति में कुछ सुधार होने पर घटना के तीसरे दिन रिपोर्ट लिखाने थाना कन्नौज गया। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि "मेरा भाई अमरदीप दिनांक 05/06.07.2015 से 15.07.2015 तक कानपुर के मेडिकल काले में भर्ती रहा था, जहां उसका इलाज हुआ था। इन लोगों द्वारा फायर

करने से व धार्मिक उन्माद फैलाने से क्षेत्र में भय व आतंक व्याप्त हो गया था, जिसके सम्बन्ध में विवेचक ने मेरा पूरा बयान लिया था।" अतः इस साक्षी ने प्रस्तुत मामले की घटना अभियुक्तगण अकरम वारसी व बबलू के द्वारा किये जाने का कथन अपनी मुख्य परीक्षा में किया है, परन्तु यहीं पर इस साक्षी की जिरह का अवलोकन किया जाये तो इसने अपनी जिरह में अभियोजन कथानक के विपरीत कथन करते हुये कहा है कि **"घटना वाले दिन मौके पर अकरम वारसी तथा बबलू उर्फ कौनेन हाजिर अदालत को नहीं देखा था। न ही मौके पर थे और न ही इन लोगों ने फायर किया और न ही मेरे भाई अमरदीप को इन लोगों के जरिये चोट आयी। यहीं बात मैंने पुलिस को बतायी थी नहीं लिखा इसकी वजह नहीं बता सकता। इन लोगों द्वारा मौके पर गोली चलाना व मेरे भाई अमरदीप के चोट पहुंचाना मैंने पुलिस को नहीं बतायी थी। यह बात बयान में कैसे लिख ली वजह नहीं बता सकता। रिपोर्ट में मैंने जो बात लिखायी है वह मैंने मोहल्ले वालों के कहने पर लिखा दिया था।"** अतः साक्षी के जिरह में आये उपरोक्त कथन अभियेाजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को संदेहास्पद बना देते है।

16. अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये पीड़ित साक्षी पी.डब्लू.–2 अमरदीप की मुख्य परीक्षा के साक्ष्य का विवरण अवधारणीय बिन्दु संख्या–1 के निस्तारण में उल्लिखित किया जा चुका है। यहां पर उक्त पीड़ित (चुटहिल) की जिरह का अवलोकन किया जाये तो इसने अपनी जिरह में कथन किया है कि **"मेरे घर के सामने एक भीड़ आयी थी, उसमें मैं मुल्जिमान को पहचान नहीं सका। इसी बीच मेरे घर के पास हमें गोली लग गयी। उस मकान में मैं स्वयं रहता हूं। गोली लगते ही मैं बेहोश हो गया था और मुझे अस्पताल में होश आया था। यही बात मैंने दरोगाजी को बतायी थी। यदि बयानों में उन्होंने नहीं लिखी तो वजह नहीं बता सकता हूं। दिनांक 11.04.2017 को मैंने अदालत के बयान जो दिया था वह लोगों के बताने व समझाने पर दिया था"** अतः यह साक्षी जो कि स्वयं प्रस्तुत मामले में चुटहिल है, ने अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप के बावत जिरह में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है और इसके द्वारा जिरह में प्रकट किये गये तथ्यों के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि प्रस्तुत मामले की घटना अभियुक्तगण द्वारा कारित किये जाने के

तथ्यों को अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी.डब्लू.–2 ने अपनी जिरह में पूर्णतः इंकार किया है, और इस प्रकार अभियोजन द्वारा लगाये गये आरोप साबित नहीं होते है।

17. यहीं पर अभियोजन के द्वारा परीक्षित साक्षी पी.डब्लू.–7 रीता अवस्थी के साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो स्पष्ट है कि यह पीड़ित (चुटहिल) अमरदीप की पत्नी है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन किया है, परन्तु अभियुक्तगण द्वारा उक्त घटना कारित करने के तथ्यों को बाद में पता चलने का कथन किया है। अब यहीं पर इस साक्षी की जिरह का अवलोकन किया जाये तो इसने अपनी जिरह में कथन किया है कि "***मैं हाजिर अदालत मुल्जिमान अकरम व बबलू को न जानती हूं न पहचानती हूं। मैं घटना के समय अपने घर पर थी। शोर सुनकर बाहर आयी थी। बाहर करीब 400–500 व्यक्तियों की भीड़ एकत्रित थी। मेरे पहुंचने से पहले ही भीड से किसी व्यक्ति ने मेरे पति अमरदीप को गोली मार दी थी। मेरे पति अमरदीप गोली लगने से बेहोश हो गये थे। गोली चलाने वाले को मैं नहीं देख पायी थी। मेरे पति गोली चलाने वाले का नाम नहीं बता पाये थे। मैं अपने पति को लेकर अस्पताल चली गयी थी। मेरे पति ने वादी मुकदमा मान सिंह को मुल्जिमानों के नाम नहीं बताये थे। उन्होंने नाम कैसे लिख लिये मुझे नहीं पता। इससे पूर्व जो मुख्य बयान दिया था वह लोगों के कहने पर दिया था। मुल्जिमानों ने कोई धर्म विरोधी बात, गाली गलौज व अनुचित बात नहीं कहीं थी।***" इस साक्षी की मुख्य परीक्षा व जिरह में आये कथनों से स्पष्ट है कि इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सुने सुनाये कथनों के आधार पर उक्त साक्ष्य दिये थे जो मुख्य परीक्षा से स्वयं स्पष्ट है। इसके साथ ही साथ इस साक्षी ने अपनी जिरह में लोगों के कहने पर आधार पर मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण के नाम लेने का साक्ष्य दिया है, और अपनी जिरह में प्रस्तुत मामले की घटना अभियुक्तगण अकरम व बबलू के द्वारा कारित करने के तथ्य से पूर्णतः इंकार किया है। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोजन के द्वारा अभियुक्तगण अकरम वारसी व बबलू उर्फ कौनेन पर लगाये गये आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं किया जा सका है।

17. कथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी आशीष पुत्र किशन के साक्ष्य का अवलोकन किया

जाये तो इस साक्षी को अभियोजन की ओर से बतौर साक्षी पी.डब्लू.–3 के रूप में परीक्षित कराया गया है, इसने अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है कि, ***दिनांक 05.07.2015 को सायं करीब 6–7 बजे मैं अपने घर पर बाहर खड़ा था कि अचानक चिडियांगंज रोड की ओर से कुछ भीड़ शोर शराबा व फायरिंग करते हुये तथा धार्मिक गाली गलौज करते हुये आ रहे थे। भीड़ में कौन–कौन व्यक्ति गाली कलौज कर रहा था। मैं नहीं सुन पाया न ही मैंने किसी को फायरिंग करते देखा था। भीड़ में से चली गोली अमरदीप के पेट में लगी थी जिससे अमरदीप बेहोश हो गये थे। मैंने भीड़ में जाबिर, अतहर वारसी, अकरम वारसी, बबलू उर्फ कौनेन को नहीं देखा था।*** इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही करते हुये जिरह की गयी तो इस साक्षी द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया है कि, ***मेरा दरोगाजी ने बयान नहीं लिया था। गवाह ने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान से इंकार करते हुये कथन किया कि यह कहना गलत है कि फायरिंग करते वक्त व गाली गलौज करते मैंने देखा और आज सही बात नहीं बता रहा हूं।*** उक्त साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि ***यह कहना सही है गाली गलौज व फायरिंग करने वाली भीड़ में जाबिर, अतहर वारसी, अकरम वारसी, लईक अहमद, भोले कुरैशली तथा बबलू मौजूद नहीं थे। यह कहना भी सही है कि मुल्जिमान को घटना वाले दिन न ही गाली गलौज करते देखा और न ही जान से मारने की धमकी देते हुये देखा, न ही धार्मिक गाली गलौज करते देखा और न ही फायरिंग करते देखा।*** अतः इस साक्षी के उपरोक्त साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप पूर्णतः संदेहास्पद हो जाते है।

18. गुजरात राज्य बनाम जय राजीभाई पंजाबी भाई वारू 2016 क्रिमिनल लॉ जर्नल 4185 SC के मामले में निर्णय की कंडिका–13 में यह अभिव्यक्त किया है कि–

13. *The burden of proof in criminal law is beyond all*

reasonable doubt. The prosecution has to prove the guilt of the accused beyond all reasonable doubt and it is also the rule of justice in criminal law that if two views are possible on the evidence adduced in the case, one pointing to the guilt of the accused and the other towards his innocence, the view which is favorable to the accused should be adopted.

अभियेाजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्लू.–1 मान सिंह, पी.डब्लू.–2 अमरदीप, पी.डब्लू.–3 आशीष तथा पी.डब्लू.–7 रीता अवस्थी के साक्ष्य के उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि इन साक्षियों ने अभियुक्तगण अकरम वारसी एवं बबलू उर्फ कौनेन के द्वारा आरोपित अपराध कारित करने के तथ्य से अपनी जिरह में पूर्णतः इंकार कर दिया है। अतः उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर अवधारणीय बिन्दु संख्या–2 इस प्रकार निर्णीत किया जाता है कि **अभियोजन के द्वारा अभियुक्तगण अकरम वारसी एवं बबलू उर्फ कौनेन पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 147 ,148, 149, 307, 298, 504 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता तथा 7 क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेन्ट एक्ट को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया जा सका है और अभियुक्तगण अकरम वारसी एवं बबलू उर्फ कौनेन को इन आरोपों से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।**

आदेश

अभियुक्तगण **अकरम वारसी** एवं **बबलू उर्फ कौनेन,** अपराध संख्या–**673/2015** के विरूद्ध लगाए गए आरोप अन्तर्गत **धारा–147, 148, 149, 307, 298, 504 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेण्ट एक्ट** संदेह से परे सिद्ध न होने के कारण अभियुक्तगण को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण इस मामले में जमानत पर रहे है। उनके जमानतदारों को प्रतिभू के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त प्रत्येक को निर्देशित किया जाता है कि वे धारा 437A दण्ड प्रक्रिया संहिता (481 बी.एन.एस.एस.) का अनुपालन करते हुए **मु. 25–25,000/– (पच्चीस–पच्चीस हजार)** रूपये के बंधपत्र एवं इतनी ही धनराशि के **दो–दो प्रतिभू अन्दर सप्ताह** दाखिल करे, जिसकी **अवधि 6 माह** तक होगी तथा अपील दाखिल किये जाने की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के अधीन रहेगी।

दिनांक 29.04.2026

(रजनीश मोहन वर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश
एफ.टी.सी. कक्ष संख्या–2, कन्नौज।
J.O.CODE–UP1672

यह निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित करते हुये सुनाया गया।

दिनांक 29.04.2026

(रजनीश मोहन वर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश
एफ.टी.सी. कक्ष संख्या–2, कन्नौज।
J.O.CODE–UP1672